152

III/निग०/उमरिया/भू.रा०/2017/4218

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

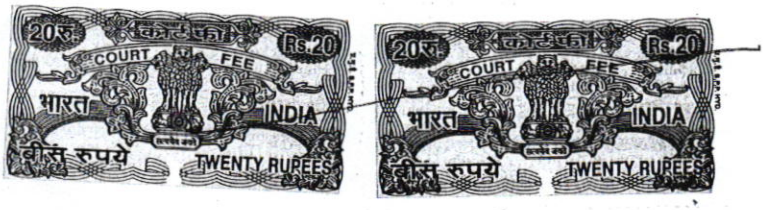

Rs. 401.

राजकुमार उर्फ राजू उर्फ राजेन्द्र गुप्ता उम्र 52 वर्ष पिता मनिलाल गुप्ता निवासी ग्राम निगहरी थाना उमरिया तह. बांधवगढ़ (चंदिया) जिला उमरिया म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

बनाम्

भगत प्रताप सिंह गोंड पिता भागीरथी सिंह गोंड निवासी ग्राम निगहरी थाना उमरिया तह. बांधवगढ़ (चंदिया) जिला उमरिया म.प्र. ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी अंतर्गत धारा 51 (1) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार चंदिया वृत बिलासपुर जिला उमरिया म.प्र. के राजस्व प्र.क. 90/अ 12/2008–09 आदेश दिनांक 28.07.2009

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्नांकित है–

यह कि निगरानीकर्ता अपने पुस्तैनी आराजी खसरा नं. 34/1 क रकबा 2.58 ए. के जुज भाग 65x25 पर माकान बना करके आबाद है और उत्तरदाता द्वारा निगरानीकर्ता की भूमि को नाप कराकर के सीमांकन पुष्टि करवा लिया गया है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं है न ही निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार की राजस्व कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गयी और न ही पंचनामा प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सूचना पत्र में हस्ताक्षर नहीं है तथा चोरी छिपे ढ़ंग से उत्तरदाता के द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवा लिया गया है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत है। जिससे पीड़ित होकर के निगरानीकर्ता को श्रीमान् जी के न्यायालय में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चंदिया वृत बिलासपुर के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिसके तथ्य निम्नांकित हैं–

निगरानी के आधार –

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2009 वाक्यातायन दुरूस्त नहीं है, जो निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 III / निगरानी / उमरिया / भू–रा0 / 2018 / 4218 जिला–उमरिया

राजकुमार उर्फ राजू / भगत प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	